



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 02, 1941

No. 488]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 02, 1941

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

सं. सीईए-जीओ-13-15/3/2019-डीपीआर प्रभाग.—विद्युत (पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम (3) के उप नियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए प्रारूप विनियम का प्रस्ताव छह दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त प्रकाशनों को अंतर्विष्ट करने वाले समाचार-पत्रों की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त विनियमों को अंतर्विष्ट करने वाले उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां 21 फरवरी, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

अतः अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) (संशोधन) विनियम 2019 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), में विनियम 2, उप विनियम (1) में -
 - (i) खंड (छ) का लोप किया जाएगा।
 - (ii) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(झ) 'चेक मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है, जो इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर के उसी कोर से जोड़ा है, जिससे मुख्य मीटर जुड़ा हुआ है और इसका उपयोग मुख्य मीटर की विफलता की स्थिति में विद्युत के लेखांकन और बिलिंग में किया जाएगा;"
 - (iii) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ञ) 'उपभोक्ता मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है जिसका उपयोग उपभोक्ता को या उससे आपूर्ति की जाने वाली विद्युत के लेखांकन और बिलिंग के लिए किया जाता है, किंतु उन उपभोक्ताओं को छोड़कर जो इंटरफ़ेस मीटर के अधीन आते हैं;"
 - (iv) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ट) 'संशुद्ध मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है जो इन विनियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है;"
 - (v) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ड) 'इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफॉर्मर' से 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) या 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) और 'कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर' (सीवीटी) या 'करंट ट्रांसफॉर्मर' (सीटी) और 'इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर' (आईवीटी) अभिप्रेत है;"
 - (vi) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ढ) 'इंटरफ़ेस मीटर' से विद्युत के लेखांकन और बिलिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला वह मीटर अभिप्रेत है, जो विद्युत उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं की विद्युत प्रणालियों के बीच अंतःसंयोजन बिंदु से जुड़ा है, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली और जिन्हें उपयुक्त आयोग द्वारा खुली पहुंच की अनुमति दी गई है, से सीधे जुड़ा होता है;
 - (vii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(त) 'मीटर', से वह उपकरण अभिप्रेत है, जो विद्युत या विद्युत प्रणाली से संबंधित किसी अन्य मात्रा के प्रवहण के मापन, उपदर्शन और अभिलेखन के लिए उपयुक्त है और इसके अंतर्गत, जहां लागू हो, अन्य उपस्कर, जैसे- मापन के प्रयोजन के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर शामिल हैं और इससे 'संशुद्ध मीटर' भी अभिप्रेत है, यदि वह इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है;"
 - (viii) खंड (द) का लोप किया जाएगा।
 - (ix) खंड (न) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(नक) 'स्मार्ट मीटर' से आईएस 16444 और समय समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट मीटर अभिप्रेत है;"

(x) खंड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(फ) 'स्टैंडबाई मीटर' से वह मीटर अभिप्रेत है, जो मुख्य मीटर और चेक मीटर के लिए प्रयुक्त इंसट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त अन्य इंसट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर से संयोजित है, और जिसका उपयोग मुख्य मीटर और चेक मीटर दोनों की विफलता की स्थिति में विद्युत के लेखांकन और बिलिंग के लिए किया जाएगा;"

(xi) खंड (भ) और (म) का लोप किया जाएगा।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 में लागू होने से संबंधित विनियम 2 का लोप किया जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 4 में उप विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -

"(1) (क) सभी नए 'इन्टरफेस मीटर' और 'एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर' स्थिर प्रकार के होंगे और उनमें स्वचालित दूरस्थ मीटर रीडिंग की सुविधा होगी;

(ख) सभी नए उपभोक्ता मीटर पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटर होंगे;

परन्तु स्मार्ट मीटरों के अलावा, अन्य मौजूदा मीटरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 5 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -

"(क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सुसंगत मानकों के अनुरूप है। यदि किसी विशेष उपस्कर या सामग्री के लिए बीआईएस मानक उपलब्ध नहीं हैं, तो सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) मानकों, या किसी अन्य समकक्ष मानक का अनुपालन किया जाएगा:

परन्तु जब भी किसी आईईसी मानक या किसी अन्य समकक्ष मानक का अनुपालन किया जाता है, तो उक्त मानकों को वास्तविक रूप से अपनाए जाने से पूर्व भारत में प्रचलित अभिहित (नॉमिनल) प्रणाली आवृत्ति और अभिहित (नॉमिनल) प्रणाली वोल्टेज के लिए आवश्यक संशुद्धियां या संशोधन करने होंगे:

परन्तु यह और कि परिवेशी (एम्बिएन्ट) तापमान और आर्द्रता के लिए आवश्यक संशुद्धियों या संशोधनों को इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार किया जाएगा।"

6. उक्त विनियमों के विनियम 6, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात्: -

"(ख) यदि कोई उपभोक्ता मीटर क्रय करने का विकल्प चुनता है, तो वह इन विनियमों के अनुपालन में लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप उसे खरीद सकता है और उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए मीटर का परीक्षण, अधिष्ठापन और सीलिंग लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा:

परन्तु उपभोक्ता अपने द्वारा खरीदे गए मीटर का अपनी परिसंपत्ति के रूप में दावा केवल तभी करेगा, जब वह वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 7 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, सारणी-1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात्: -

सारणी-1

क्र.सं.	चरण	मुख्य मीटर	चेक मीटर	स्टैंडबाई मीटर
1.	उत्पादन केंद्र	विभिन्न प्रशुल्क वाले या विभिन्न स्वामित्व वाले या दोनों प्रकार के उत्पादन केंद्रों के दो चरणों के बीच बस सेक्शनलाइजर या टाई लाइन सहित सभी बहिर्गामी फीडरों पर।	विभिन्न प्रशुल्क वाले या विभिन्न स्वामित्व वाले या दोनों प्रकार के उत्पादन केंद्रों के दो चरणों के बीच बस सेक्शनलाइजर/ टाई लाइन सहित सभी बहिर्गामी फीडरों पर।	(i) जेनरेटर ट्रांसफॉर्मरों के उच्च वोल्टता (एचवी) सिरे पर (ii) सभी स्टेशन सहायक (ऑग्निलरी) ट्रांसफॉर्मरों के उच्च वोल्टता (एचवी) सिरे पर।
2.	पारेषण और वितरण प्रणाली	(i) एक ही लाइसेंसधारी के उप केंद्रों के बीच की लाइन के एक सिरे पर: (ii) दो भिन्न लाइसेंसधारियों के उप केंद्रों के बीच की लाइन के दोनों सिरे पर: परन्तु संबंधित लाइसेंसधारियों के लिए दोनों सिरे के मीटरों को मुख्य मीटर माना जाएगा।	-	(i) पृथक रूप से कोई भी स्टैंडबाई मीटर नहीं होगा। (ii) दो भिन्न लाइसेंसधारियों के मामले में लाइन के दूसरे सिरे पर अधिष्ठापित मीटर स्टैंडबाई मीटर का कार्य करेगा।
3.	अंतःसंयोजित ट्रांसफार्मर (आईसीटी)	आईसीटी के उच्च वोल्टता (एचवी) वाले सिरे पर।	-	आईसीटी के निम्न वोल्टता (एलवी) वाले सिरे पर।
4.	अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित उपभोक्ता, जिन्हें समुचित आयोग द्वारा ओपन एक्सेस की अनुमति प्रदान की गई है या कोई अन्य प्रणाली, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है।	समुचित आयोग द्वारा जैसा विनिश्चित किया जाए।		

(ii) उप-विनियम (2) में,

(I) खंड (क) के प्रथम परन्तुक में "रियल टाइम डिस्प्ले यूनिट" शब्दों के स्थान पर "इन होम डिस्प्ले यूनिट" रखा जाएगा।

(II) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) मीटर का स्थान और फर्श से मीटर डिस्प्ले की ऊंचाई, आईएस 15707 में यथाविनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित होगी।"

(III) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) बाहरी अधिष्ठापनों के मामले में, आईएस 15707 में यथाविनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित सुरक्षा स्तर वाले उपयुक्त आवरण द्वारा मीटर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।"

(IV) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (3) में खंड (i) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के मामले में, मीटर को इन्वर्टर प्रत्यावर्ती धारा (एसी) आउटपुट टर्मिनलों पर संस्थापित किया जाएगा,"

8. उक्त विनियमों के विनियम 9 में, -

(i) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) एकल फेज मीटरों के मामले में, उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता की ओर की वायरिंग में कॉमन न्यूट्रल या फेज न हो अथवा दो या अधिक उपभोक्ताओं के न्यूट्रल या फेज की लूपिंग न हो:

परन्तु, यदि लाइसेंसधारी को ऐसे कॉमन न्यूट्रल या फेज अथवा न्यूट्रल या फेज की लूपिंग का पता चलता है, तो इसका पता चलते ही वह अधिष्ठापन रिपोर्ट अथवा नियमित विद्युत बिलों अथवा मीटर परीक्षण रिपोर्टों या एसएमएस के माध्यम से, जो भी लागू हो, सूचना उपभोक्ता को देगा और इस प्रकार का नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा उसे सुधारा जाएगा।"

(ii) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) यदि मीटर में अर्थ लीकेज संकेत प्रदर्शित होता है, तो इसका पता चलते ही लाइसेंसधारी अधिष्ठापन रिपोर्ट अथवा नियमित विद्युत बिलों अथवा मीटर परीक्षण रिपोर्टों या एसएमएस के माध्यम से, जो भी लागू हो, सूचना उपभोक्ता को देगा और इस प्रकार का नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा उसे सुधारा जाएगा।"

(iii) उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(6) यदि इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफार्मर, मीटरों के भाग हैं, तो मीटर को यथासंभव इंस्ट्रूमेंट ट्रान्सफार्मर के पास अधिष्ठापित किया जाएगा, ताकि द्वितीयक लीडों में विभव गिरावट (पोटेन्शियल ड्रॉप) को कम किया जा सके।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 12 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) लाइसेंसधारी द्वारा सभी सीलों के लिए एक निगरानी और रिकॉर्डिंग तंत्र बनाए रखा जाएगा ताकि सीलों के कुल संचालन से प्रारम्भ करके प्रापण (निर्माता के विवरण सहित), भंडारण, रिकॉर्ड रखना, अधिष्ठापन, निरीक्षणों की श्रृंखला और हटाने पर नजर रखी जा सके।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 13 में, उप विनियम (3) में,-

(i) "उपभोक्ता मीटर" शब्दों के स्थान पर "उपभोक्ता मीटर" और "रियल टाईम डिस्प्ले यूनिट" शब्दों के स्थान पर "इन होम डिस्प्ले यूनिट" रखा जाएगा।

11. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(1) इंटरफ़ेस मीटर: (क) मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने और समुचित आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त आंकड़ों को विभिन्न एजेंसियों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व उस उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी का होगा, जिसके परिसर में मीटर अधिष्ठापित किया गया है:

परन्तु, इंटरफ़ेस मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व समुचित आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(ख) एक सुरक्षित और समर्पित संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए संबंधित भार प्रेषण केंद्र (लोड डिस्पैच सेंटर) को मीटर के आंकड़ों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

(2) उपभोक्ता मीटर: (क) स्थानीय या दूरस्थ रूप से मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने, मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा:

परन्तु, समुचित विनियामक आयोग लाइसेंसधारियों द्वारा सभी उपभोक्ता मीटरों की इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समय सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा।

(ख) अपने उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा और अन्य विद्युत मात्राओं का लेखा-जोखा लाइसेंसधारी रखेंगे:

परन्तु, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को मोबाइल ऐप या वेब एप्लिकेशन या इन होम डिस्प्ले या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से उसकी ऊर्जा खपत से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

(ग) संक्षिप्त इतिहास, अधिष्ठापन की तिथि और परीक्षण के ब्यौरे, अंशशोधन और मीटरों को बदलने संबंधी आंकड़े लाइसेंसधारी द्वारा रखे जाएंगे।

(3) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर: (क) स्थानीय या दूरस्थ रूप से मीटर के आंकड़ों को डाउनलोड करने, मीटरीकृत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने, एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटरों से जुड़ी सभी जानकारी का डेटाबेस रखने और मीटरीकृत आंकड़ों की संशुद्धता सत्यापित करने का उत्तरदायित्व उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी का होगा।

(ख) प्रत्येक उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अपनी प्रणाली के कुशल प्रचालन और प्रणाली विकास हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक ऊर्जा खाता बनाएगा।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 15 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(क) जब भी किसी मास, मुख्य मीटर और चेक मीटर रीडिंग के बीच अंतर 0.5% से अधिक है, तो निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

(i) इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्शनों की जाँच करना।

(ii) परीक्षाधीन मीटर की परिशुद्धता श्रेणी से उच्चतर परिशुद्धता श्रेणी वाले मानक संदर्भ मीटर से इंटरफ़ेस मीटर की परिशुद्धता का कार्य स्थल पर परीक्षण करना।

(iii) मद (i) और (ii) में निर्दिष्ट परीक्षण परिणामों के आधार पर, दोषपूर्ण मीटर को बदलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) मीटर के जलने और मापे गए प्राचलों के अनियमित प्रदर्शन जैसी स्पष्ट विफलताओं के मामले में और जब मीटर के परीक्षण में पाई गई त्रुटि सुसंगत मानक में प्रदान की गई त्रुटि की अनुमेय सीमा से परे है, तो मीटर को तत्काल बदल दिया जाएगा।

परन्तु, जब कभी इंटरफ़ेस मीटर को बदला जाए, तब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पारेषण/वितरण प्रणाली के दूसरे छोर पर लगा इंटरफ़ेस मीटर, यदि कोई हो, एक ही परिशुद्धता श्रेणी के हों।"

(iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा : -

"(घ) जब रीडिंग इंटरफ़ेस मीटर के रीडिंगों के अनुरूप नहीं हैं।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) (क) लाइसेंसधारी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी अपनी विद्यमान मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता दिलाने के लिए, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है, तत्काल कार्रवाई करेगा।

(3) उत्पादन कंपनी अथवा लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्माता द्वारा सभी प्रकार के नेमी और स्वीकृति परीक्षण, सुसंगत आईएस की अपेक्षा का अनुपालन करते हुए किए जाते हैं।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 18 में, -

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) सभी इंटरफ़ेस मीटरों का पांच वर्ष में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए कार्य स्थल पर नेमी संशुद्धता परीक्षण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनः अंशशोधन किया जाएगा।

परन्तु, इन मीटरों का परीक्षण तब भी किया जाएगा, जब मीटर द्वारा रिकार्ड की गई ऊर्जा और अन्य मात्राएं असामान्य या वैद्युत निकटस्थ मीटरों के असंगत हों।

(ग) परीक्षण की तिथि के बारे में अन्य पक्षकार को अग्रिम नोटिस देकर आपूर्तिकर्ता और क्रेता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इंटरफ़ेस मीटरों का परीक्षण और अंशशोधन किया जाएगा।";

(iii) उप-विनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) उपभोक्ता मीटर: उपभोक्ता मीटर का पांच वर्ष में कम से कम एक बार मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से कार्य स्थल पर परीक्षण किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनः अंशशोधन किया जाएगा;

परन्तु, लाइसेंसधारी कार्य स्थल पर मीटर का परीक्षण करने के बजाय मीटर को हटा सकता है और उसको किसी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में विधिवत परीक्षण किए गए मीटर को लगा सकता है;

परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती वर्षों के इन्हीं महीनों या मौसम में खपत पैटर्न में तीव्र परिवर्तन आता है अथवा किसी मीटर के बारे में उपभोक्ता की शिकायत हो, तो मीटर का परीक्षण किया जाएगा;

परन्तु यह भी कि परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला मीटर परीक्षणाधीन मीटर की तुलना में उच्चतर परिशुद्धता श्रेणी वाला होगा।

(3) एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिट मीटर: एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिट मीटरों का परीक्षण मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से पांच साल में कम से कम एक बार या जब भी उनकी परिशुद्धता पर संदेह हो अथवा जब भी रीडिंग अन्य मीटरों, अर्थात् चेक मीटरों, स्टैंडबाई मीटरों की रीडिंग के असंगत हो, कार्य स्थल पर परीक्षण किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो दोषपूर्ण मीटरों का पुनः अंशशोधन किया जाएगा;

परन्तु, यह परीक्षण इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रान्सफार्मरों के कनेक्शन हटाए बिना किया जाए।"

15. उक्त विनियमों के विनियम 20 का लोप किया जाएगा।

16. उक्त विनियमों के यथा विलोपित विनियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"21. साइबर सुरक्षा- (1) उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों, और प्राधिकरण द्वारा विद्युत क्षेत्र में संचार प्रणाली के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करेंगे।

22. विनियमों की शिथिलता - प्राधिकरण, लिखित आदेश से और कारणों को दर्ज करते हुए अपने समक्ष प्रस्तुत किसी मामले में अलग-अलग मामले के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकता है।"

17. उक्त विनियमों की अनुसूची में-

(i) भाग 1 में,-

(क) पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) इन मानकों में मीटरों की विशिष्टताएं, बाह्य कारकों से प्रतिरक्षा, सीलिंग बिंदुओं तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं का प्रावधान है, जो विनियामक दृष्टिकोण से अपेक्षित हैं:

परन्तु, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं, उत्पादन कंपनी अथवा लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार की जाएंगी।"

(ख) पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) मीटरों की विशिष्टताएं

1.	मानक संदर्भ वोल्टेज, वोल्टेज रेंज, मानक आवृत्ति, प्रारंभिक विद्युत धारा और अधिकतम विद्युत धारा, पावर फैक्टर रेंज, पावर फ्रीक्वेंसी विदस्टैंड वोल्टेज, 1.2/50 माइक्रो सेकंड के लिए इंपल्स वोल्टेज विदस्टैंड परीक्षण, ऊर्जा खपत	सुसंगत भारतीय मानकों (आईएस) के अनुसार।														
2.	मानक मूल विद्युत धारा	सुसंगत आईएस के अनुसार। उपभोक्ता मीटर की विद्युत धारा की परिसीमा (करंट रेंज) इस तरह से चुनी जाएगी कि स्वीकृत भार के तदुनुरूप विद्युत भार धारा (लोड करंट) को रिकॉर्ड किया जा सके।														
3.	परिशुद्धता श्रेणी (एक्यूरेसी क्लास)	<p>मीटर, परिशुद्धता श्रेणी की निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे:</p> <table border="1" data-bbox="807 1039 1465 1823"> <tr> <td data-bbox="807 1039 1136 1093">(क) इंटरफेस मीटर</td> <td data-bbox="1136 1039 1465 1093">0.2 एस</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="807 1093 1465 1146">(ख) उपभोक्ता मीटर</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1146 1136 1236">(i) 650 वोल्ट तक तक सीधे जुड़े</td> <td data-bbox="1136 1146 1465 1236">1.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1236 1136 1621">(ii) 650 वोल्ट तक सीटी कनेक्टेड</td> <td data-bbox="1136 1236 1465 1621">जहां पृथक सीटी का उपयोग किया गया है, सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 0.5 एस या बिना टर्मिनल वाले सीधे जुड़े लांग करंट रेंज मीटरों के लिए सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 1.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1621 1136 1729">(iii) 650 वोल्ट से ऊपर और 33 किलो वोल्ट तक</td> <td data-bbox="1136 1621 1465 1729">0.5 एस</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1729 1136 1783">(iv) 33 किलो वोल्ट से ऊपर</td> <td data-bbox="1136 1729 1465 1783">0.2 एस</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="807 1783 1465 1823">(ग) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर</td> </tr> </table> <p>(i) विद्युत उत्पादन केंद्रों में, जनरेटर स्टेटर टर्मिनलों के बाद किसी बिंदु पर, इकाई ऑग्निलरी ट्रांसफार्मर (रों) के लिए टैप ऑफ से पहले और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र के</p>	(क) इंटरफेस मीटर	0.2 एस	(ख) उपभोक्ता मीटर		(i) 650 वोल्ट तक तक सीधे जुड़े	1.0	(ii) 650 वोल्ट तक सीटी कनेक्टेड	जहां पृथक सीटी का उपयोग किया गया है, सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 0.5 एस या बिना टर्मिनल वाले सीधे जुड़े लांग करंट रेंज मीटरों के लिए सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 1.0	(iii) 650 वोल्ट से ऊपर और 33 किलो वोल्ट तक	0.5 एस	(iv) 33 किलो वोल्ट से ऊपर	0.2 एस	(ग) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर	
(क) इंटरफेस मीटर	0.2 एस															
(ख) उपभोक्ता मीटर																
(i) 650 वोल्ट तक तक सीधे जुड़े	1.0															
(ii) 650 वोल्ट तक सीटी कनेक्टेड	जहां पृथक सीटी का उपयोग किया गया है, सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 0.5 एस या बिना टर्मिनल वाले सीधे जुड़े लांग करंट रेंज मीटरों के लिए सुसंगत आईएस के अनुसार श्रेणी 1.0															
(iii) 650 वोल्ट से ऊपर और 33 किलो वोल्ट तक	0.5 एस															
(iv) 33 किलो वोल्ट से ऊपर	0.2 एस															
(ग) एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर																

		<p>मामले में इन्वर्टर एसी आउटपुट टर्मिनल पर मीटर(रों) की परिशुद्धता श्रेणी, 0.2 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होगी:</p> <p>परन्तु, अन्य मीटरों की परिशुद्धता श्रेणी 1.0 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम न हो।</p> <p>(ii) पारेषण प्रणाली में मीटरों की परिशुद्धता श्रेणी 0.2 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होगी।</p> <p>(iii) वितरण प्रणाली में जहां मीटर के साथ पृथक करेंट ट्रान्सफार्मरों (सीटीज) का उपयोग किया गया है, वहां परिशुद्धता श्रेणी 0.5 एस परिशुद्धता श्रेणी से कम नहीं होगी:</p> <p>परन्तु बिना टर्मिनल वाले सीधे जुड़े लम्बी करंट रेंज मीटरों के मामले में परिशुद्धता श्रेणी श्रेणी 1.0 से कम नहीं होगी।</p> <p>(iv) उपभोक्ता परिसर में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र के एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटर की परिशुद्धता श्रेणी उपभोक्ता मीटर के समान होगी।</p>
4.	परिवेशी तापमान और आर्द्रता (यदि अंतर्राष्ट्रीय मानक या आईईसी मानक का अनुपालन किया जाता है)	<p>तापमान परिसीमा:</p> <p>प्रचालन की परिसीमा: -10 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस तक</p> <p>भंडारण और परिवहन के लिए परिसीमा: -10 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस तक</p> <p>सापेक्ष आर्द्रता: 100% तक</p> <p>नोट: (1) विशेष अनुप्रयोगों के लिए निर्माता और क्रेता के बीच समझौते के अनुसार अन्य तापमान मानों का उपयोग किया जा सकता है।</p> <p>(2) तापमान की चरम सीमाओं पर मीटर का प्रचालन, भंडारण और परिवहन अधिकतम छह घंटे की अवधि के लिए होना चाहिए।</p>
5.	डब्ल्यूएच और वीएआरएच को मापने के दौरान केवल मूल आवृत्ति मात्राओं को ही मापा और परिकलित किया जाएगा।";	

(ग) पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) मीटर में कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (सीएमआरआई) के माध्यम से मीटरीकृत आंकड़े डाउनलोड करने के लिए एक पोर्ट और दूरस्थ संचार के लिए एक अन्य पोर्ट/प्रणाली उपलब्ध होगी।"

(घ) पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(5) सीलिंग बिंदु: सीलिंग निम्नलिखित बिंदुओं (यथा लागू) पर की जाएगी:

(क) कवर वाली मीटर बाँडी (यदि एकीकृत बाँडी का उपयोग किया जाता है, तो लागू नहीं)

(ख) मीटर टर्मिनल कवर

(ग) मीटर परीक्षण टर्मिनल ब्लॉक

(घ) मीटर कैबिनेट/पैनल

(ड.) मीटरिंग के उद्देश्य के लिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल बॉक्स और जंक्शन बॉक्स, यदि कोई हो।"

(ड.) पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(6) (क) इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की परिशुद्धता श्रेणी संबद्ध मीटरों से कम नहीं होगी।

(ख) इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

(ग) यदि विद्यमान इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इन विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, दोषपूर्ण हैं या निष्क्रिय पाए जाते हैं, तो उन्हें नए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से बदल दिया जाएगा।";

(च) पैरा (7) का लोप किया जाएगा।

(ii) भाग II के पैरा (1) में -

(क) उप-पैरा (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) इंटरफेस मीटर तीन फेस चार वायर वाले स्थैतिक प्रकार के समग्र (कम्पोजिट) मीटर होंगे जो सक्रिय (ऐक्टिव) व प्रतिघाती (रिएक्टिव) ऊर्जा तथा निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित कुछ अन्य पैरामीटरों को मापने वाले स्वतःपूर्ण उपकरण होंगे:

परन्तु, ये मीटर 110 वोल्ट सेकेन्डरी लाइन टू लाइन वोल्टेज रेटिंग वाले वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) और 1 एम्पीयर या 5 एम्पीयर सेकेन्डरी करंट रेटिंग वाले करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) में सीधे जोड़े जाने के लिए उपयुक्त हों:

परन्तु यह भी कि, संदर्भ आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) 50 हर्ट्ज होगी।

(ख) इन मीटरों में एक नॉन वोल्टेज मेमोरी होगी जो कम से कम पिछले दस दिनों की अवधि के आंकड़े संग्रहीत करने में सक्षम होगी और सुसंगत भारतीय मानकों में निर्दिष्ट पैरामीटरों के अतिरिक्त, निम्नलिखित पैरामीटरों को मापने में सक्षम होगी:

- (i) प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के लिए औसत आवृत्ति 2 दशमलव ट्रन्केशन तक;
- (ii) स्टेशन बसबारों से बाहर भेजी गई ऐक्टिव पावर के लिए + चिह्न और बसबारों में प्राप्त ऐक्टिव पावर के लिए - चिह्न सहित प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के दौरान नेट डब्ल्यूएच ट्रान्समिटल दो दशमलव तक;
- (iii) प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी डब्ल्यूएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में;
- (iv) उच्च वोल्टेज स्थिति के लिए प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी वीएआरएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में;
- (v) निम्न वोल्टेज स्थिति के लिए प्रत्येक अर्धरात्रि में संचयी वीएआरएच ट्रान्समिटल एक दशमलव सहित आठ अंकों में;
- (vi) किसी फेस पर वीटी आपूर्ति की विफलता की स्थिति में तिथि और समय ब्लॉक तारांकित (*) चिह्न और पूर्ण वोल्टेज विफलता की स्थिति में जेड (Z) चिह्न के रूप में;
- (vii) स्टेशन बसबारों से बाहर भेजी गई रिएक्टिव पावर के लिए + चिह्न और बसबारों में प्राप्त रिएक्टिव पावर के लिए - चिह्न सहित प्रत्येक क्रमिक समय ब्लॉक के दौरान नेट वीएआरएच ट्रान्समिटल दो दशमलव तक;

(viii) औसत वोल्टेज 2 दशमलव ट्रन्केशन तक:

परन्तु मीटर द्वारा मीटर डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए समय ब्लॉक 15 मिनट या केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार होगा।";

(ख) उप-पैरा (ग) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-पैरा (घ) का लोप किया जाएगा।

(घ) उप-पैरा (ड.), (च), (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ड.) दो प्रतिघाती ऊर्जा (रिएक्टिव एनर्जी) रजिस्टर होंगे, एक उस अवधि के लिए जब औसत आरएमएस वोल्टेज 103% से अधिक है और दूसरा उस अवधि के लिए जब वोल्टेज 97% से कम।

(च) जब उप केंद्र बसबारों से नेट डब्ल्यूएच निर्यात है तो डब्ल्यू एच रिकॉर्डिंग में + चिह्न होगा और जब नेट डब्ल्यूएच आयात है तो - चिह्न होगा:

परन्तु, जब उप केंद्र बसबारों से डब्ल्यूएच या वीएआरएच का निर्यात होता है, तो डब्ल्यूएच और वीएआरएच के लिए एकीकृत (संचयी) रजिस्टर आगे बढ़ेगा और जब आयात है तो पीछे चलेगा।

(छ) मीटर, निम्नलिखित पैरामीटरों को भी (मांग पर) बारी-बारी प्रदर्शित करेगा:

- (i) मीटर की विशिष्ट पहचान संख्या,
- (ii) तिथि,
- (iii) समय,
- (iv) संचयी वॉट ऑवर (डब्ल्यूएच) रजिस्टर रीडिंग,
- (v) पिछले समय ब्लॉक की औसत आवृत्ति,
- (vi) पिछले समय ब्लॉक में नेट डब्ल्यूएच संचारण, +/- चिह्न सहित,
- (vii) औसत प्रतिशत वोल्टेज,
- (viii) रिएक्टिव पावर +/- चिह्न सहित,
- (ix) वोल्टेज-उच्च वीएआरएच रजिस्टर रीडिंग,
- (x) वोल्ट-निम्न वीएआरएच रजिस्टर रीडिंग,
- (xi) पिछले समय ब्लॉक में नेट वीएआरएच संचारण, +/- चिह्न सहित।

(ज) (i) तीन लाइन-टू-न्यूट्रल वोल्टेज की लगातार निगरानी की जाएगी, और यदि इनमें से कोई भी 80% से कम हो जाता है, तो इसे उपयुक्त रूप से दर्शाया जाएगा और मीटर मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाएगा।

(ii) ये मीटर आमतौर पर वीटी सेकेन्डरी परिपथों से ली गई विद्युत से परिचालन करेंगे:

परन्तु इन मीटरों को एसी और डीसी ऑर्गिजलरी विद्युत आपूर्ति से प्रचालित करने का प्रावधान होगा।

(iii) प्रत्येक मीटर में एक बिल्ट-इन कैलेंडर तथा घड़ी होगी, और उसमें स्वतः समय तादात्म्य (टाइम सिन्क्रोनाइजेशन) की सुविधा होगी।

(iv) मीटर ठीक से सील किया जाएगा और कार्य स्थल पर समायोजन (एडजस्टमेंट) की किसी भी संभावना से परे, किसी भी छेड़छाड़ को स्पष्ट दर्शाने वाले (टैम्पर एविडेन्ट) होंगे।"

(ड) खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(च) उप-पैरा (ण) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ज) मुख्य मीटर और चेक मीटर इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रांसफार्मर के एक ही कोर से जोड़े जाएंगे।"

(ज) उप-पैरा (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(ट) सभी नए मीटरों में आवृत्ति को 0.01 हर्ट्ज के चरणों में रिकॉर्ड करने की क्षमता होगी।

(ठ) सभी नए मीटर केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय ब्लॉक के परिवर्तन के अनुरूप कार्य स्थल पर फिर से कॉन्फिगर किए जाने योग्य होंगे।"

(iii) भाग III में,

(क) पैरा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ आवश्यकताओं पर आधारित उपभोक्ता मीटर में सुसंगत भारतीय मानकों के अनुरूप पैरामीटरों को मापने, रिकॉर्ड करने तथा दर्शाने की सुविधा होगी:

परन्तु, उपभोक्ता मीटर में लाइसेंसधारी की आवश्यकता के अनुसार छेड़-छाड़ (टैम्पर) से संबंधित घटनाओं को दर्ज करने और दर्शाने की भी सुविधा हो।

(2) सभी मीटरों में नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कम से कम 35 दिनों के लिए डेटा संग्रहण क्षमता होगी।";

(ख) पैरा (3) में,-

(क) मद (i) और उसके अंतर्गत टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) उपयुक्त आयोग के विनियमों या दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त एंटी-टैम्परिंग विशेषताएं, जिनमें धारा परिपथ को पलटना, धारा परिपथ शार्ट अथवा ओपेन अथवा असामान्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति जैसी छेड़-छाड़ की घटनाओं को लॉग करना सम्मिलित हो, उपलब्ध कराई जा सकती हैं।"

"टिप्पण - स्मार्ट मीटर द्वि-दिशात्मक है और इसलिए उपर्युक्त (3) (ड.) में उल्लिखित एंटी टैम्पर विशेषता लागू नहीं होगी।";

(iv) भाग IV में, पैरा (1) का लोप किया जाएगा।

(v) भाग IV में, पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) संबंधित उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट आवश्यकताओं के आधार पर एनर्जी अकाउंटिंग एवं ऑडिट मीटरों में सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप पैरामीटरों को मापने, रिकॉर्ड करने तथा दर्शाने की सुविधा उपलब्ध होगी।"

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./375/19]

टिप्पणी: मूल विनियम, की अधिसूचना सं 502/70/सीइए/डीपी एंड डी तारीख 22 मार्च, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं 23/47/2014-आर एण्ड आर (खंड. III) तारीख 03 दिसंबर 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किये गये थे।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2019

No. CEA-GO-13-15/3/2019-DPR Division.—Whereas the draft regulations proposing to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule (3) of the Electricity (Procedure for previous Publication) Rules, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said publications were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the said regulations were made available to the public on 21st February, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 read with clause (c) of sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations further to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) (Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (1) of regulation (2),-
 - (i) clause (g), shall be omitted;
 - (ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) ‘Check Meter’ means a meter, which shall be connected to the same core of the Instrument Transformer to which main meter is connected and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of main meter;”;
 - (iii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

“(j) ‘Consumer Meter’ means a meter used for accounting and billing of electricity supplied to or from the consumer but excluding those consumers covered under Interface Meters;”;
 - (iv) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

“(k) ‘Correct Meter’ means a meter, complying the standards as specified in the Schedule to these regulations;”;
 - (v) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

“(m) ‘Instrument Transformer’ means the ‘Current Transformer’ (CT) or ‘Current Transformer’ (CT) and ‘Capacitor Voltage Transformer’ (CVT) or ‘Current Transformer’ (CT) and ‘Inductive Voltage Transformer’ (IVT);”;
 - (vi) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:-

“(n) ‘Interface Meter’ means a meter used for accounting and billing of electricity, connected at the point of interconnection between electrical systems of generating company, licensee and consumers, directly connected to the Inter-State Transmission System or Intra-State Transmission System or Distribution System and who have been permitted open access by the Appropriate Commission;”;
 - (vii) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:-

“(p) ‘Meter’ means a device suitable for measuring, indicating and recording the conveyance of electricity or any other quantity related with electrical system and shall include, wherever applicable, other equipment such as Instrument Transformer necessary for the purpose of measurement and also mean ‘Correct Meter’, if it complies with the standards as specified in the Schedule to these regulations;”;
 - (viii) clause (r), shall be omitted.

- (ix) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:-
“(ta) ‘Smart Meter’ means a meter as specified in IS 16444 and as amended from time to time;”;
- (x) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
“(v) ‘Standby Meter’ means a meter connected to Instrument Transformer, other than those used for main meter and check meter and shall be used for accounting and billing of electricity in case of failure of both main meter and check meter;”;
- (xi) clauses (x) and (y), shall be omitted.
3. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2014, regulation 2 relating to Application shall be omitted.
4. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-
“(1) (a) all new Interface Meters and Energy Accounting and Audit Meters shall be of static type and shall have automatic remote meter reading facility;
(b) all new Consumer Meters shall be Smart Meters with prepayment feature:
Provided that the existing meters, other than Smart Meters, shall be replaced with Smart Meters with prepayment feature within a time frame as specified by the Central Government.”.
5. In regulation 5 of the said regulations, for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
“(a) comply with the relevant standards of Bureau of Indian Standards (BIS). If BIS Standards are not available for a particular equipment or material, the relevant International Electro-technical Commission (IEC) Standards, or any other equivalent Standard shall be followed:
Provided that whenever an IEC Standard or any other equivalent Standard is followed, necessary corrections or modifications shall be made for nominal system frequency and nominal system voltage prevailing in India before actual adoption of the said Standard:
Provided further that necessary corrections or modifications for ambient temperature and humidity shall be made as per the range specified in the Schedule to these regulations.”.
6. In regulation 6 of the said regulations, in sub-regulation (2), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-
“(b) If any consumer opts to purchase a meter, the same may be purchased by him as per the technical specifications laid down by the licensee in compliance with these regulations and meter purchased by the consumer shall be tested, installed and sealed by the licensee:
Provided that the consumer shall claim the meter purchased by him as his asset only after it is permanently removed from the system of the licensee.”
7. In regulation 7 of the said regulations,-
(i) in sub-regulation (1), for Table-1, the following Table shall be substituted, namely:-

“Table -1

Sl. No	Stages	Main Meter	Check Meter	Standby Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Generating Station	On all outgoing feeders including bus sectionalizer or tie line between two stages of generating stations having different tariffs or different ownership or both	On all outgoing feeders including bus sectionalizer or tie line between two stages of generating stations having different tariffs or different ownership or both	(i)High Voltage (HV) side of Generator Transformers (ii) High Voltage side of all Station Auxiliary Transformers
2.	Transmission and	(i) At one end of the line between the substations		(i) There shall be no separate

	Distribution System	of the same licensee; (ii) At both ends of the line between substations of two different licensees: Provided that meters at both ends shall be considered as main meters for respective licensees.	-	standby meter. (ii) Meter installed at other end of the line in case of two different licensees shall work as standby meter.
3.	Inter-Connecting Transformer (ICT)	High Voltage (HV) side of ICT.	-	Low Voltage (LV) side of ICT.
4.	Consumer directly connected to the Inter-State Transmission System or Intra-State Transmission System or Distribution System who has been permitted open access by the Appropriate Commission or any other system not covered above	As decided by the Appropriate Commission.”.		

(ii) in sub-regulation (2),-

(I) in clause (a), in the first proviso, for the words “real time display unit”, the words “in home display unit” shall be substituted;

(II) for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) The location of meter and height of meter display from the floor shall be as specified in IS 15707 and as amended from time to time.”;

(III) for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

“(c) For outdoor installations, the meters shall be protected by appropriate enclosure of level of protection as specified in the IS 15707 and as amended from time to time.”;

(IV) clause (d) shall be omitted.

(iii) in sub-regulation (3), in clause (i), after sub-clause (a), the following proviso shall be inserted , namely:-

“Provided that in case of Renewable energy generating station, the meter shall be installed at the inverter Alternating Current (AC) output terminals.”.

8. In regulation 9 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) In case of single phase meters, the consumer shall ensure that there is no common neutral or phase or looping of neutral or phase of two or more consumers on consumers’ side wiring:

Provided that, if such common neutral or phase or looping of neutral or phase comes to the notice of licensee, it shall suitably inform the consumer through installation report or regular electricity bills or meter test report or SMS as applicable, as soon as it comes to its notice and the same shall be rectified by the consumer within 15 days from such notice by the licensee.”;

(ii) for sub-regulation (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) If the earth leakage indication is displayed in the meter, the licensee shall suitably inform the consumer through installation report or regular electricity bills or meter test report or SMS as applicable, as soon as it

comes to it's notice and the same shall be rectified by the consumer within 15 days from such notice by the licensee.”;

(iii) for sub-regulation (6), the following shall be substituted, namely:-

“(6) In case Instrument Transformer form part of the meters, the meter shall be installed as near as possible to the Instrument Transformer to reduce the potential drop in the secondary leads.”.

9. In regulation 12 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) A tracking and recording mechanism for all seals shall be maintained by the licensee so as to track total movement of seals starting from procurement (with manufacturer's details), storage, record keeping, installation, series of inspections and removal.”.

10. In regulation 13 of the said regulations, in sub-regulation (3),-

(i) For the words “consumer meter”, the words “Consumer Meter” and for the words “real time display”, the words “in home display” shall be substituted.

11. For regulation 14, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Interface Meters: (a) It shall be the responsibility of the Generating Company or the licensee, in whose premises the meter has been installed, to download the meter data, record the metered data and furnish such data to various agencies as per the procedure laid down by the Appropriate Commission:

Provided that the responsibility of maintaining database of all the information associated with the Interface Meters and verifying the correctness of the metered data shall be in accordance with the procedure laid down by the Appropriate Commission.

(b) The metered data shall be communicated to the respective Load Despatch Centre by using a secured and dedicated communication system.

(2) Consumer Meters: (a) It shall be the responsibility of the licensee to download the Meter data either locally or remotely, record the metered data, maintain database of all the information associated with the Consumer Meters and verify the correctness of the metered data:

Provided that the Appropriate Regulatory Commission shall specify suitable time frame for ensuring electronic meter reading of all consumer meters by the licensees.

(b) The licensee shall maintain accounts for the electricity consumption and other electrical quantities of its consumers:

Provided that the licensee shall provide information to the consumer related to his energy consumption through Mobile App or Web application or in home display or any other suitable means.

(c) Brief history, date of installation and details of testing, calibration and replacement of meters shall be maintained by the licensee.

(3) Energy Accounting and Audit Meters.- (a) It shall be the responsibility of the generating company or licensee to download the meter data locally or remotely, record the metered data, maintain database of all the information associated with the energy accounting and audit meters and verify the correctness of the metered data.

(b) Each generating company or licensee shall prepare quarterly, half-yearly and yearly energy account for its system for taking appropriate action for efficient operation and system development.”.

12. In regulation 15 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1) for clauses (a) & (b), the following shall be substituted, namely:-

“(a) Whenever difference between the readings of the Main Meter and the Check Meter for any month is more than 0.5%, the following steps shall be taken:

(i) checking of Instrument Transformers connections;

(ii) testing of accuracy of Interface Meter at site with a reference standard meter of accuracy class higher than the meter under test;

(iii) based on the test results as specified in items (i) and (ii), corrective action shall be taken to replace the defective meter.

(b) In case of conspicuous failures like burning of meter and erratic display of metered parameters and when the error found in testing of meter is beyond the permissible limit of error provided in the relevant standard, the meter shall be replaced immediately:

Provided that whenever an Interface Meter is replaced, it shall be ensured that Interface Meter at the other end, if any, of the transmission or distribution system, shall have same accuracy class.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (c), the following shall be inserted, namely:-

“(d) readings not in conformity with the readings of Interface Meters.”

13. In regulation 17 of the said regulations for sub-regulations (2) and (3), the following shall be substituted, namely:-

“(2) (a) The licensee shall set up accredited testing laboratories or utilise the services of other accredited testing laboratories.

(b) The licensee shall take immediate action to get the accreditations for their existing meter testing laboratories from NABL, if not already done.

(3) The generating company or licensee shall ensure that all type, routine and acceptance tests are carried out by the manufacturer complying with the requirement of the relevant Indian Standards.”.

14. In regulation 18 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (1), for clauses (b) and (c), the following shall be substituted, namely: -

“(b) All Interface Meters shall be tested on-site using accredited test laboratory for routine accuracy testing at least once in five years and recalibrated if required.

Provided that these meters shall also be tested whenever the energy and other quantities recorded by the meter are abnormal or inconsistent with electrically adjacent meters.

(c) Testing and calibration of Interface Meters shall be carried out in the presence of the representatives of the supplier and buyer by giving the advance notice to the other party regarding the date of testing.”;

(ii) for sub-regulations (2) and (3), the following shall be substituted, namely: -

“(2) Consumer Meters: The testing of Consumer Meters shall be done at site through accredited test laboratory at least once in five years and recalibrated, if required:

Provided that the licensee instead of testing the meter at site can remove the meter and replace the same by a meter duly tested in an accredited test laboratory:

Provided further that meter shall be tested if the consumption pattern changes drastically from the similar months or seasons of the previous years or if there is consumer’s complaint pertaining to a meter:

Provided also that the meter used for testing shall be of better accuracy class than the meter under test.

(3) Energy Accounting and Audit Meters: Energy Accounting and Audit Meters shall be tested at site through accredited test laboratory at least once in five years or whenever the accuracy is suspected or whenever the readings are inconsistent with the readings of other meters, e.g., Check Meters, Standby Meters and defective meters shall be recalibrated, if required:

Provided that the testing shall be carried out without removing the Instrument Transformers connection.”.

15. Regulation 20 of the said regulations shall be omitted.

16. In the said regulations, after regulation 20 as so omitted, the following regulations shall be inserted, namely: -

“21. Cyber Security. - Generating Company and licensee shall comply with cyber security guidelines issued by the Central Government, from time to time, and the technical standards for communication system in Power Sector laid down by the Authority.

22. Relaxation of Regulations. - The Authority, by order in writing and the reasons to be recorded, may relax any provision of these regulations in respect of any matters referred to the Authority on case to case basis.”

17. In the Schedule to the said regulations, -

(a) in part I, -

(a) for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely: -

“(1) These standards provide for specification of meters, immunity to external factors, sealing points and functional requirements that are required from regulatory perspective:

Provided that, detailed technical specifications shall be prepared by the Generating Company or licensee, as the case may be.”;

(b) for paragraph (2), the following paragraph shall be substituted, namely: -

“(2) Specification of meters:

1.	Standard Reference Voltage, Voltage Range, Standard Frequency, Starting Current and Maximum Current, Power Factor Range, Power Frequency withstand voltage, Impulse voltage withstand test for 1.2/50 micro sec, Power Consumption	As per relevant Indian Standards (IS).												
2.	Standard Basic Current	As per relevant IS. Current range of consumer meters shall be so chosen as to record the load current corresponding to the sanctioned load.												
3.	Accuracy class	<p>Meters shall meet the following requirements of Accuracy Class:</p> <table border="1" data-bbox="820 577 1457 1093"> <tr> <td data-bbox="820 577 1139 611">(a) Interface Meters</td> <td data-bbox="1144 577 1457 611">0.2S</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="820 618 1457 651">(b) Consumer Meters</td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 658 1139 714">(i) Upto 650 Volts Direct Connected</td> <td data-bbox="1144 658 1457 714">1.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 721 1139 987">(ii) Upto 650 volts CT Connected</td> <td data-bbox="1144 721 1457 987">Class 0.5S as per relevant IS where separate CTs are used Or Class 1.0 as per relevant IS for terminal less direct connected long current range meters.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 994 1139 1050">(iii) Above 650 volts and up to 33 kilo volts</td> <td data-bbox="1144 994 1457 1050">0.5S</td> </tr> <tr> <td data-bbox="820 1057 1139 1090">(iv) Above 33 kilo volts</td> <td data-bbox="1144 1057 1457 1090">0.2S</td> </tr> </table> <p>(c) Energy Accounting and Audit Meters</p> <p>(i) In generating stations, the accuracy class of meter(s) at a point after the generator stator terminals, before the tap off to the unit auxiliary transformer(s) and at the inverter AC output terminals in case of Renewable Energy generating station, shall not be inferior to that of 0.2S accuracy class:</p> <p>Provided that, the accuracy class of other meters shall not be inferior to that of 1.0S accuracy class.</p> <p>(ii) The accuracy class of meters in transmission system shall not be inferior to that of 0.2S accuracy class.</p> <p>(iii) The accuracy class of meters in distribution system shall not be inferior to that of 0.5S accuracy class where separate CTs are used with meter:</p> <p>Provided that in case of terminal less direct connected long current range meters accuracy class shall not be inferior to class 1.0.</p> <p>(iv) The accuracy class of Energy accounting and Audit Meters for renewable energy generating station located at consumer premises shall be same as that of consumer meter.</p>	(a) Interface Meters	0.2S	(b) Consumer Meters		(i) Upto 650 Volts Direct Connected	1.0	(ii) Upto 650 volts CT Connected	Class 0.5S as per relevant IS where separate CTs are used Or Class 1.0 as per relevant IS for terminal less direct connected long current range meters.	(iii) Above 650 volts and up to 33 kilo volts	0.5S	(iv) Above 33 kilo volts	0.2S
(a) Interface Meters	0.2S													
(b) Consumer Meters														
(i) Upto 650 Volts Direct Connected	1.0													
(ii) Upto 650 volts CT Connected	Class 0.5S as per relevant IS where separate CTs are used Or Class 1.0 as per relevant IS for terminal less direct connected long current range meters.													
(iii) Above 650 volts and up to 33 kilo volts	0.5S													
(iv) Above 33 kilo volts	0.2S													
4.	Ambient Temperature and Humidity (in case an International Standard or an IEC Standard is followed)	<p>Temperature range:</p> <p>Limit range of operation: -10 °C to +70 °C Limit range for storage and transport: -10 °C to +70 °C Relative Humidity: up to 100%</p>												

		<p>Note: (1) For Special applications other temperature values can be used according to agreement between manufacturer and purchaser.</p> <p>(2) Operation, storage and transport of the meter at the extremes of the temperature range should be for a maximum period of six hours.</p>
5.	Only fundamental frequency quantities shall be measured and computed while measuring Wh and VARh.”;	

(c) for paragraph (3), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(3) Meter shall have one port for downloading facilities of metered data through Common Meter Reading Instrument (CMRI) and another port/system for remote communication.”;

(d) for paragraph (5), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(5) Sealing Points: Sealing shall be done at the following points (as applicable):

- (a) Meter body with cover (Not applicable if integrated body is used),
- (b) Meter terminal cover ,
- (c) Meter test terminal block ,
- (d) Meter cabinet/ panel,
- (e) Instrument Transformer(s) terminal box for metering purpose, and junction box, if any.”;

(e) for paragraph (6), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(6) (a) The accuracy class of Instrument Transformer shall not be inferior to that of associated meters.

(b) The Instrument Transformer shall comply with relevant Indian Standards.

(c) The existing Instrument Transformer not complying with these regulations shall be replaced by new Instrument Transformer, if found defective or non-functional.”;

(f) paragraph (7), shall be omitted.

(b) in part II, in paragraph (1),-

(a) for sub-paragraphs (a) and (b), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(a) The Interface Meters shall be three phase four wire static type, composite meters, self-contained devices for measurement of active and reactive energy, and certain other parameters as described in the following paragraphs:

Provided that, the meters shall be suitable for being connected directly to voltage transformers (VTs) having a rated secondary line-to-line voltage of 110 V, and to current transformers (CTs) having a rated secondary current of 1A or 5A:

Provided further that, the reference frequency shall be 50Hz.

(b) The meters shall have a non-volatile memory capable of storing data for a period of at least last ten days and shall be able to measure following parameters in the manner specified, in addition to those specified in the relevant Indian Standards:

- (i) average frequency for each successive time block upto 2 decimal truncation;
- (ii) net Wh transmittal during each successive time block upto two decimal, with plus sign for active power sent out from station busbars and minus sign for active power received into the busbars;
- (iii) cumulative Wh transmittal at each midnight, in eight digits including one decimal;
- (iv) cumulative VARh transmittal for voltage high condition, at each midnight, in eight digits including one decimal;
- (v) cumulative VARh transmittal for voltage low condition, at each midnight, in eight digits including one decimal;
- (vi) date and time blocks of failure of VT supply on any phase, as a star(*) mark and (Z) mark in case of complete voltage failure;
- (vii) net VARh transmittal during each successive time block upto two decimal with plus sign for reactive power sent out from station busbars and minus sign for reactive power received into the busbars;
- (viii) average voltage upto 2 decimal truncation:

Provided that the time block for recording of meter data by the meter shall be 15 minutes or as specified by the Central Commission.”;

(b) sub-paragraph (c) shall be omitted.

(c) sub-paragraph (d), shall be omitted.

(d) for sub-paragraphs (e), (f), (g) and (h), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(e) There shall be two reactive energy registers, one for the period when average RMS voltage is above 103% and the other for the period when the voltage is below 97%.

(f) The Wh recording shall have a +ve sign when there is a net Wh export from substation busbars, and a -ve sign when there is a net Wh import:

Provided that the integrating (cumulative) registers for Wh and VARh shall move forward when there is Wh or VARh export from substation busbars, and backward when there is an import.

(g) The meters shall also display (on demand), by turn, the following parameters :

- (i) Unique identification number of the meter,
- (ii) Date,
- (iii) Time,
- (iv) Cumulative Wh register reading,
- (v) Average frequency of the previous time block,
- (vi) Net Wh transmittal in the previous time block, with +/-sign,
- (vii) Average percentage voltage,
- (viii) Reactive power with +/- sign,
- (ix) Voltage-high VARh register reading,
- (x) Voltage-low VARh register reading,
- (xi) Net VARh transmittal in the previous time block, with +/-sign.

(h) (i) the three line-to-neutral voltages shall be continuously monitored, and in case any of these falls below 80%, the same shall be suitably indicated and recorded in the meter memory.

(ii) the meters shall normally operate with the power drawn from the VT secondary circuits:

Provided that there shall be provision to operate the meters from AC and DC auxiliary power supply.

(iii) each meter shall have a built-in calendar and clock and shall have facility of automatic time synchronisation.

(iv) the meters shall be properly sealed and tamper evident with no possibility of any adjustment at site.”;

(e) clause (i), shall be omitted;

(f) for sub-paragraph (j), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(j) The Main Meter and the Check Meter shall be connected to same core of Instrument Transformer.”;

(g) after sub-paragraph (j), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

“(k) All new meters shall have capability of recording frequency in steps of 0.01 Hz.

(l) All new meters shall be re-configurable at site for change of time block as specified by the Central Commission.”.

(iii) In part III,-

(a) for paragraphs (1) and (2), the following paragraphs shall be substituted, namely:-

“(1) The Consumer Meter shall have the facilities to measure, record and display parameters depending upon the tariff requirement for various categories of consumers in line with the relevant Indian Standards:

Provided that the consumer meter shall also have facility to log and display tamper related events as per the requirement of licensee.

(2) All meters shall have data storage capacity for at least 35 days in a non-volatile memory.”;

(b) in paragraph (3), for item (i) and the NOTE thereunder, the following shall be substituted, namely:-

“(i) Additional anti-tampering features including logging of tampers such as current circuit reversal, current circuit short or open and presence of abnormal magnetic field may be provided as per the regulations or directions of the Appropriate Commission.

NOTE.- Smart Meter is bi-directional and therefore anti tamper feature stipulated at (3) (e) above shall not be applicable.”;

(v) Part IV, paragraph (1), shall be omitted;

(v) In Part IV, for paragraph (2), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) The Energy Accounting and Audit Meters shall have the facility to measure, record and display parameters depending upon the energy accounting and audit requirement of the respective Generating Company or licensee in line with relevant Indian Standards.”

P. C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./375/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. 502/70/CEA/DP&D, dated the 22nd March, 2006 and last amended *vide* notification No. 23/47/2014-R&R (Vol.III), dated the 03rd December, 2014.